186/XV – 30-06-2020

कार्यालय जनपद न्यायाधीश , गाजीपुर

आदेश

जिलाधिकारी, गाजीपुर के पत्रांक 4894/आ०लि०-1 /2020 दिनांकित 26/06/2020 के माध्यम से यह अवगत कराया गया था कि उपजिलाधिकारी सैदपुर एवं उपजिलाधिकारी मुहम्मदाबाद तथा मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर द्वारा प्राप्त आख्या के अवलोकन से विदित है कि उक्त दोनों ही वाह्य न्यायलय सम्प्रति उक्त द्वय क्षेत्रों में कोरोना पाजिटिव केस प्रकाश में आने के दृष्टिगत उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत निर्देश के आलोक में कन्टेनमेंट जोन की परिधि में है, जिसके परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03 June 2020 के द्वारा न्यायालय खोलने के सम्बन्ध में दी गई गाईडलाईन के पैरा- 14 के आलोक में वाह्य न्यायालय सैदपुर को कंटेनमेंट जोन की अवधि के लिए बन्द किये जाने का आदेश दिनांक 27/06/2020 को दिया गया था।

जिलाधिकारी, गाजीपुर के पत्रांक 4900/ आ०लि०-1/2020 दिनांकित 29 जून 2020 के माध्यम से गंगा नगर, वार्ड नं० 13, नगर पंचायत, सैदपुर, गाजीपुर सहित जनपद के अन्य क्षेत्रों के कंटेंनमेंट जोन से बाहर होने की सूचना मुख्यचिकित्साधिकारी, गाजीपुर की आख्या दिनांक 29/06/2020 के आलोक में निर्धारित अवधि में कोई अन्य कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में दी गई है।

तद्नुसार जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार वाह्य स्थित न्यायालय सैदपुर, गाजीपुर अब कंटेनमेंट जोन में नहीं है अत: ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में दी गई गाइडलाईन के आलोक में वाह्य स्थित न्यायालय/ कार्यालय सैदपुर , गाजीपुर दिनांक 01/07/2020 से नियमित कार्य हेतु खुलेगें।

माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्दशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर व मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रतिदिन वाह्य न्यायालय परिसर सैदपुर को सेनेटाईज कराना व न्यायालय परिसर में आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्केनिंग कराते हुए दिन-प्रतिदिन की रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर, मुख्यचिकित्साधिकारी, गाजीपुर, वाह्य स्थित न्यायालय सैदपर के पीठासीन अधिकारी तथा जनपद गाजीपुर के समस्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/ महासचिव को अविलम्ब भेजी जाए।

साथ ही आदेश की एक प्रति नोडल आफिसर कम्प्यूटर. जनपद न्यायालय गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की जाय कि वे इसे जनपद न्यायालय के वेवसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें एवं आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की जाए कि वे इसका प्रकाशन दैनिक समाचारपत्रों में कराना सुनिश्चित करें। साथ ही इसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित की जाये।

Raghvendra 30/6/20

दिनांक-30-06-2020 (राघवेन्द्र)

जनपद न्यायाधीश,

जनपद न्यायाधीश
गाजीपुर

Scanned with CamScanner